

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2016


विषय:-वित्तीय वर्ष 2015-16 में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूर्तित खाद्यान्न के भुगतान हेतु पंचम किस्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म0भो0प्रा0/10967/2015-16 दिनांक 14.03.2016 एवं पत्रांक-म0भो0प्रा0/12035/2015-16 दिनांक 30.03.2016 का संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदेश के प्राथमिक (एन0सी0एल0पी0 विद्यालयों सहित) एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों (जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाएं भी शामिल हैं) में मध्यान्ह भोजन योजना संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशानुसार भारतीय खाद्य निगम को समय से भुगतान प्राप्त कराने के लिए जनपदवार भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है, और इस हेतु केन्द्रांश के रूप में प्रश्नगत विद्यालयों के लिए खाद्यान्न उठान (गेहूं/चावल) हेतु पंचम किस्त के रूप में रू0-3213.00 लाख (रू0 बत्तीस करोड़ तेरह लाख मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार निर्गत किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- भारतीय खाद्य निगम को समय से भुगतान प्राप्त कराने के लिए जो बिल भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे, उसका सीधे भुगतान संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा, धनराशि का व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा। किसी भी अनियमितता के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-71 अधीन लेखाशीर्षक-"2202- सामान्य शिक्षा-01 प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनागत-112-विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए-0102-खाद्यान्न तथा प्रबन्धन व्यय (के.100/रा.0-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।



6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं०-ई-11-486/दस-2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त


भक्तदीप
(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 2- श्रमायुक्त, कानपुर ।
- 3- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ०प्र० लखनऊ ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 5- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 6- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 7- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- 8- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र०।
- 9- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक, उ०प्र०।
- 10- मुख्य वित्त अधिकारी, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ०प्र० लखनऊ ।
- 11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3
- 12- अनुश्रवण प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग ।
- 13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।



[Mid-Day-Meal Scheme]


Fund Allocation to district for FCI
Payment, 2015-16

Vth Installment

Rs. In Lakh

Sl. No.	District	Proposed Fund to be Release to District
1	2	3
1	01-Agra	0.00000
2	02-Aligarh	0.00000
3	03-Allahabad	0.00000
4	04-Ambedkar nagar	0.00000
5	05-Auraiya	0.00000
6	06-Azamgarh	98.06229
7	07-Badaun	0.00000
8	08-Baghat	0.00000
9	09-Bahraich	60.04575
10	10-Ballia	65.61350
11	11-Balrampur	0.00000
12	12-Banda	51.33198
13	13-Barabanki	51.81877
14	14-Bareilly	52.46091
15	15-Basti	0.00000
16	16-Bhadohi	0.00000
17	17-Bijnour	49.55216
18	18-Bulandshahar	52.09934
19	19-Chandauli	0.00000
20	20-Chitrakoot	0.00000
21	21-Amethi	0.00000
22	22-Deoria	74.23687
23	23-Etah	0.00000
24	24-Faizabad	51.41162
25	25-Farrukhabad	32.58118
26	26-Fatehpur	47.45217
27	27-Firozabad	26.06894
28	28-G.B. Nagar	10.39059
29	29-Ghazipur	60.63777
30	30-Ghaziabad	21.40982
31	31-Gonda	63.79913
32	32-Gorakhpur	69.07076
33	33-Hameerpur	19.50550
34	34-Hardoi	86.23962
35	35-Hathras	22.88028
36	36-Itawah	25.54777
37	37-J.P. Nagar	27.51139
38	38-Jalaun	23.78055
39	39-Jaunpur	79.18339
40	40-Jhansi	28.61282

Sl. No.	District	Proposed Fund to be Release to District
1	2	3
41	41-Kannauj	31.32504
42	42-Kanpur Dehat	33.43265
43	43-Kanpur Nagar	32.40213
44	44-Kaas Ganj	28.92175
45	45-Kaushambi	24.83959
46	46-Kushinagar	54.35288
47	47-Lakhimpur Kheri	76.58359
48	48-Lalitpur	27.91738
49	49-Lucknow	65.31437
50	50-Mahoba	24.43680
51	51-Mahrajganj	49.12407
52	52-Mainpuri	22.29818
53	53-Mathura	31.10007
54	54-Mau	31.01895
55	55-Meerut	24.49613
56	56-Mirzapur	53.35479
57	57-Moradabad	31.18442
58	58-Muzaffarnagar	26.17267
59	59-Pilibhit	28.45054
60	60-Pratapgarh	74.98260
61	61-Rai Bareilly	26.07855
62	62-Rampur	39.01246
63	63-Saharanpur	37.20809
64	64-Santkabir Nagar	27.57541
65	65-Shahjahanpur	64.81778
66	66-Shrawasti	12.29272
67	67-Siddharthnagar	38.42664
68	68-Sitapur	99.36517
69	69-Sonbhadra	39.79146
70	70-Sultanpur	41.14877
71	71-Unnao	45.47826
72	72-Varanasi	55.69822
73	73-Sambhal	40.97882
74	74-Hapur	12.14272
75	75-Shamli	14.72146
Total		2617.75000


 (अमिताभ त्रिपाठी)
 संयुक्त सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन।


[Mid-Day-Meal Scheme]


**Fund Allocation to district for FCI
Payment, 2015-16**

VIth Installment

Rs. In Lakh

Sl. No.	District	Fund being Released to Districts
1	2	3
1	06-Azamgarh	111.25953
2	09-Bahraich	68.12672
3	10-Ballia	74.44378
4	12-Banda	58.24025
5	14-Bareilly	59.52110
6	18-Bulandshahar	59.11087
7	22-Deoria	84.22768
8	25-Farrukhabad	36.96597
9	70-Sultanpur	27.11107
10	75-Shamli	16.24303
Total		595.25000


(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।



प्रेषक,
अमिताभ त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6


लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2016

विषय:—वित्तीय वर्ष 2015-16 में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूर्तित खाद्यान्न के भुगतान हेतु पंचम किस्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या—म0भो0प्रा0 / 10967 / 2015-16 दिनांक 14.03.2016 एवं पत्रांक—म0भो0प्रा0 / 12035 / 2015-16 दिनांक 30.03.2016 का संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदेश के प्राथमिक (एन0सी0एल0पी0 विद्यालयों सहित) एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों (जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाएं भी शामिल हैं) में मध्यान्ह भोजन योजना संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशानुसार भारतीय खाद्य निगम को समय से भुगतान प्राप्त कराने के लिए जनपदवार भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है, और इस हेतु केन्द्रांश के रूप में प्रश्नगत विद्यालयों के लिए खाद्यान्न उठान (गेहूं/चावल) हेतु पंचम किस्त के रूप में रू0-3213.00 लाख (रू0 बत्तीस करोड़ तेरह लाख मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार निर्गत किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

2— भारतीय खाद्य निगम को समय से भुगतान प्राप्त कराने के लिए जो बिल भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे, उसका सीधे भुगतान संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा, धनराशि का व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा। किसी भी अनियमितता के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-71 अधीन लेखाशीर्षक—“2202- सामान्य शिक्षा-01 प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनागत-112-विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए-0102-खाद्यान्न तथा प्रबन्धन व्यय (के.100/रा.0-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।



6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं०-ई-11-486/दस-2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 2- श्रमायुक्त, कानपुर ।
- 3- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ०प्र० लखनऊ ।
- 4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 5- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 6- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० ।
- 7- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र० ।
- 8- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र० ।
- 9- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक, उ०प्र० ।
- 10- मुख्य वित्त अधिकारी, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ०प्र० लखनऊ ।
- 11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3
- 12- अनुश्रवण प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग ।
- 13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

